राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक: रा.मा.शि.प/जय/SIQE/ 2014–15/ 13130 दिनांक: 7/08/2015

समस्त मुख्य सन्दर्भ व्यक्ति,
एसआईक्यूई परियोजना,
समस्त जिला (बांसवाडा को छोडकर)

विषयः– दिनांक 31.07.2015 से 04.08.2015 तक आयोजित प्रशिक्षण के उपरान्त कियान्विति के क्रम में।

एसआईक्यूई परियोजना के अन्तर्गत समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों (जहां कक्षा से पांच संचालित है।) के संस्था प्रधानों व हैड टीचर्स को प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीसीपी, सीसीई की कियान्विति एवं प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इस गतिविधि को संपादित करने के लिए समस्त जिलों से 119 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को दिनांक 31.07.2015 से 04.08.2015 तक पांच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

प्रशिक्षित सन्दर्भ व्यक्ति जिले में संस्थाप्रधानों एवं हैड टीचर्स को प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रशिक्षण को आयोजित करने से पूर्व समस्त मुख्य संदर्भ व्यक्तियों से अपेक्षा है कि वे प्रशिक्षण उपरान्त अर्जित क्षमताओं व कौशलों का अभ्यास स्वयं के विद्यालय में सुनिश्चित करें। यदि आपके विद्यालय में प्राथमिक कक्षाएं संचालित नही हैं तो समीपस्थ विद्यालय में यह कार्य किया जाये। आपके नेतृत्व में विद्यालय एसआईक्यूई परियोजना के लक्ष्यानुरूप **मॉडल केन्द्र** के रूप में विकसित एवं परिलक्षित होना चाहिए। इस हेतु सभी सन्दर्भ व्यक्तियों को Task for Practising of Training प्रदान किया जाता है। इस क्रम मे समस्त सन्दर्भ व्यक्ति स्वयं के विद्यालय में दिनांक 08.08.2015 से 20.08.2015 तक निम्नानुसार कार्य करेंगे –

- विद्यालय स्टाफ के साथ बैठक आयोजित कर सभी शिक्षकों को परियोजना का समग्र परिचय प्रदान करें ताकि विद्यालय मे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्य कर रहे शिक्षक, संवेदनशीलता के साथ प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की सीखने–सिखाने की प्रक्रियाओं मे, आदर्श – पाठ, शिक्षक सम्बलन आदि गतिविधियों के माध्यम से आपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।
- अपने विद्यालय के प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों व हैड टीचर्स को विद्यालय एवं कक्षा–स्तर पर की जाने वाली समस्त गतिविधियों के लिये प्रशिक्षण प्रदान करें। यदि शिक्षक पूर्व मे प्रशिक्षित है तब भी बाल केन्द्रित शिक्षण विधाओ एवं कक्षा–कक्ष गतिविधियों के प्रायोगिक पक्ष पर विस्तार से वार्तालाप करें ताकि सीसीई की मूल भावना के अनुरूप बच्चो के समूह निर्धारण, शिक्षण योजना निर्माण एवं कक्षा–कक्ष प्रक्रियाएं आदि वास्तविक रूप मे घटित हो सके।
- विद्यालय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों यथा–आधार रेखा आकलन, कक्षान्तर्गत प्रक्रियाओं व अभिलेख संधारण की गहन जानकारी प्रदान करें साथ ही उनके महत्व से भी परिचित करवायें।
- प्रधानाचार्य हैडटीचर (प्रभारी प्राथमिक कक्षा) एवं प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को स्रोत पुस्तिका का अध्ययन करवाए। किसी एक दिन सभी शिक्षक स्रोत पुस्तिका का अपने विषयानुसार अध्ययन विद्यालय में ही करेंगे।
- प्रत्येक विद्यार्थी का आधार रेखा मूल्यांकन करवायें एवं रिकॉर्ड संधारित करें।
- आधार रेखा मूल्यांकन के आधार पर समूह निर्माण, शिक्षण योजना तैयार करना, प्रत्येक विद्यार्थी का पोर्टफोलियों संधारण, सीसीपी एवं सीसीई योजना के उद्देश्यों के अनुरूप कक्षाकक्ष शिक्षण को गतिविधि आधारित एवं बालकेन्द्रित बनाना सुनिश्चित करें।
- प्रधानाचार्य प्रतिदिन किसी एक कक्षा का न्यूनतम 20 मिनट किसी एक कक्षा का अवलोकन करें एवं प्रशिक्षण के दौरान दिए गए कक्षा अवलोकन प्रपत्र में अपने अनुभवों को दर्ज़ करें।
- हैड टीचर (प्रभारी प्राथमिक कक्षा) किसी एक कक्षा का प्रतिदिन न्यूनतम एक कालांश अवलोकन करें एवं प्रशिक्षण के दौरान दिए गए कक्षा अवलोकन प्रपत्र में अपने अनुभवों को दर्ज़ करें। 10 दिवस तक एक ही कक्षा का गहन अवलोकन किया जाए। कक्षा – कक्ष आवलोकन रिपोर्ट संधारित कर समेकित करे। रिपोटर्स के आधार पर आगामी व्यूह रचना तैयार की जा सकेगी।
- प्रधानाचार्य जिस कक्षा का अवलोकन कर रहे हैं उस कक्षा के किसी एक बच्चे की शैक्षिक प्रगति की नियमित समीक्षा करें और देखें की शिक्षण और अधिगम मे किस तरह का समन्वयन है।

- हैड टीचर (प्रभारी प्राथमिक कक्षा) जिस कक्षा का अवलोकन कर रहे हैं उस कक्षा के किन्हीं 2 बच्चों की शैक्षिक प्रगति की नियमित समीक्षा करें और देखें कि शिक्षण और अधिगम में किस तरह का समन्वयन है।
- प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु फर्नीचर की व्यवस्था करें तथा तद्नुसार ही कक्षा–कक्षों का सौंदर्यीकरण करें। कक्षा–कक्ष गतिविधियों के लिए शिक्षकों को आवश्यक स्टेशनरी आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें।
- संस्थाप्रधान की भूमिका के अनुसार कक्षा अवलोकन, शिक्षकों से संवाद, बच्चो के साथ संवाद, शिक्षक सम्बलन आदि गतिविधियां सम्पादित करें तथा अभिलेख भी संधारित करे।
- कार्य के दौरान शिक्षको के साथ सतत संवाद बनायें रखे, समीक्षा करें एवं क्रियान्विति पक्ष में आने वाली समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करें।
- प्रधानाचार्य एवं हैडटीचर (प्रभारी प्राथमिक कक्षा) 10 दिवस के उपरान्त प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित करें और बैठक का कार्यवाई विवरण दर्ज़ करें। बैठक में चर्चा के बिन्दु इस प्रकार हो सकते हैं:–
  - ✓ शिक्षकों को शिक्षण अधिगम योजना बनाने मे किस प्रकार की चुनौती आ रही है ?
  - ✓ किस विषय में किस विषयवस्तु की गतिविधियों का निर्माण करने में चुनौती महसूस हो रही है?
  - ✓ बच्चों को सामूहिक कार्य, उपसमूह कार्य एवं व्यक्तिगत कार्य कराने का अनुभव किस प्रकार का रहा।
  - ✓ बच्चों का आकलन दर्ज़ करने का अनुभव किस प्रकार का रहा। यदि चुनौतीपूर्ण रहा तो उसका स्पष्ट उल्लेख करें।
- उक्त कार्य के दौरान जिला समर्थक फैलो (डीएसएफ) लगातार फील्ड विजिट करेंगे एवं सघन समर्थन प्रदान करेंगे। अतः आप डीएसएफ के सहयोग से अपने विद्यालय को एसआईक्यूई परियोजना के अन्तर्गत आदर्श विद्यालय की तरह विकसित करें।
- किए गए कार्य की रिपोर्ट तैयार करें। रिपोर्ट मे कार्य के दौरान अनुभव की गई कठिनाईयों एवं मजबूतियों (दोनो की) की जानकारी मिल सके।

एसआईक्यूई परियोजना के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अपने विद्यालय को बालकेन्द्रित शिक्षण विधा व सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पद्वति के मॉडल के रूप में विकसित करें ताकि जिले मे आयोजित प्रशिक्षण के दौरान संभागियों को विद्यालय का अवलोकन करवाया जा सकें।

आपके द्वारा योजनाबद्ध रूप से किया गया यह प्रयास प्रशिक्षण मे आप द्वारा अर्जित कौशल एवं समझ को मजबूती प्रदान करेगा एवं आप जिले के अन्य संस्थाप्रधानो को बेहतर शैक्षिक समर्थन प्रदान कर सकेंगे।

(तूलिका सैनी)
उपायुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, एवं आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, एसआईईआरटी उदयपुर।
5. बोध शिक्षा समिति/यूनिसेफ/नोडल प्रभारी, एसआईईआरटी/नोडल प्रभारी, निदेशालय मा0शि0रा0
6. जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, माध्यमिक शिक्षा समस्त।
7. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप समस्त जिला को देकर लेख है कि 31.07.2015–04.08.2015 मे आयोजित प्रशिक्षण मे सम्मिलित समस्त सन्दर्भ व्यक्तियों को उक्त पत्र की प्राप्ति सुनिश्चित करवायें, संबंधित द्वारा Task for Practising of Training की क्रियान्विति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करवायें, संबंधित विद्यालयों का अवलोकन करें, सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं जिले में किये गये कार्यो की अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 21.08.2015 तक आवश्यक रूप से राज्य कार्यालय को प्रेषित करें।
8. कार्यालय प्रति।

उपायुक्त
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्